फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी ....गणेशलाल.......................विपक्षी ....शिवलाल.................

किस्म मुकदमा..............वाद.............................. पत्रावली संख्या..........134......सन......19.......

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 25.11.2019 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण वास्ते पी0 डी0 पालना विचाराधीन है। तहसीलदार गिर्वा से पी0 डी0 पालना के सम्बन्ध में रिपोर्ट दिनांक 11.11.19 को प्राप्त हो चुकी है जो पत्रावली संलग्न हो। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह जाहिर किया गया कि वादी श्री गणेशलाल पिता हीरालाल ब्राहमण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादीगण की पत्नियों को विक्रय किया जाने से राजस्व रिकोर्ड में अब वादी का कोई हिस्सा शेष नही रहा है। न्यायालय द्वारा रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेज राजस्व नकलों का अवलोकन किया गया जिससे वादी द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय किया जाना साबित होता है। उक्त विक्रय दौराने वाद किया गया जिसकी वादी द्वारा न्यायालय को कोई जानकारी नहीं दी गई। दौराने वाद भूमि के विक्रय बाबत पूछा जाने पर न्यायालय में वादी अधिवक्ता द्वारा भी अनभिज्ञता जाहीर की गई। जिससे जाहिर होता है कि वादी द्वारा अपने अधिवक्ता एवं न्यायालय की जानकारी में लाये बिना वादग्रस्त भूमि में अपने सम्पूर्ण हिस्से को विक्रय कर दिया है। जिससे वादी का हिस्सा वादग्रस्त भूमि में शेष नहीं रहा है। अतः अब वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा समाप्त हो जाने से वादी का बंटवाड़े का कोई प्रयोजन शेष नही रहा है। अतः वादी का वाद इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा – उदयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.01.21 11:32:13 IST
Reason: SelfAttested